उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

राम सुखी देवी

5 अक्टूबर, 2004

[अरिजीत पसायत और सी. के. ठाकर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226-रिट याचिका में अंतरिम राहत-का दायरा-मृतक एक अंशकालिक कर्मचारी की पत्नी द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाली रिट याचिका -उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित प्राधिकारी को अपने दावे पर विचार करने का निर्देश देते हुए जी. ओ. की अनदेखी करते हुए कहा कि यह योजना अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है-खंड पीठ ने उसे निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्त करने का निर्देश दिया- कहा- अंतिम राहत अंतरिम चरण में नहीं दी जानी चाहिए-स्थिति तब बिगड़ गई जब इस शर्त के साथ जारी किया गया कि लागू सरकारी आदेश की अनदेखी की जाए-उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-यूपी के डाइंग-इन-हार्नेस सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974-उत्तर प्रदेश सरकार आदेश दिनांक 26.10.1998-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में नलकूप चालकों के पदों पर

अंशकालिक नलकूप चालकों के विनियमतिकरण नियमावली,1996-सेवा कानून-अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-मृतक अंशकालिक कर्मचारी की पत्नी द्वारा दावा।

उत्तरदाता के पति अंशकालिक ट्यूबवेल संचालक थे। उनकी मृत्यु पर प्रत्यर्थी ने यू. पी. डाइंग-इन-हार्नेस सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम,1974 के तहत उनकी नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। उनके अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि सरकारी आदेश दिनांक 26.10.1998 को देखते हुए 1974 के नियमों के तहत अंशकालिक कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ नहीं दिया जा सकता था। हालाँकि, उनके द्वारा दायर रिट याचिका में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नोटिस जारी करते हुए सक्षम प्राधिकारी को 26.10.1998 के जी.ओ. को अनदेखा करते हुये 1974 के नियमों के तहत उनके दावे पर निर्धारित अवधि के भीतर विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विशेष अपील का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिवादी को निर्धारित अवधि के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में यह तर्क दिया गया था कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया और उच्च न्यायालय की खंड पीठ

द्वारा पुष्टि किया गया निर्देश सरकारी आदेश में लागू विशिष्ट प्रावधान के विपरीत था और इस तरह यह टिकाऊ नहीं था।

अपील की अनुमति देते हुये कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दृष्टिकोण न्यायिक रूप से अस्थिर और अक्षम्य है। रिट याचिका में मांगी गई अंतिम राहत एक अंतरिम उपाय के रूप में दी गई है। एकल न्यायाधीश द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था कि 26.10.1998 दिनांकित सरकारी आदेश को क्यों नजरअंदाज किया जाना चाहिए। क्या रिट याचिकाकर्ता किसी राहत का हकदार था, यह निर्णय रिट याचिका के अंतिम निपटारे के समय लिया जाना चाहिए। यह दोहराया जाता है कि मांगी गई अंतिम राहत को अंतरिम स्तर पर नहीं दिया जाना चाहिए। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब अंतरिम निर्देश इस शर्त के साथ पारित किया जाता है कि लागू सरकारी आदेश की अनदेखी की जानी चाहिए। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना रद्द कर दिया जाता है। न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर हस्तक्षेप किया है कि अंतिम राहत बिना किसी उचित कारण के अंतरिम स्तर पर दी गई है। [70-डी, ई; 78-बी.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, पश्चिम बंगाल बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड, (1985) 1 एस. सी. सी. 260; राजस्थान राज्य बनाम मिस स्वाइका प्रॉपर्टीज, [1985] 3 एस. सी. सी. 217; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विशेश्वर, (1995) सप्लीमेंट 3 एस. सी. सी. 590; भारतभूषण सोनाजी क्षीरसागर (डॉ.) बनाम अब्दुल खालिक मोहम्मद मूसा और अन्य, [1995] सप्लीमेंट 2 एस. सी. सी. 593; शिवशंकर और अन्य बनाम निदेशक मंडल, यूपीएसआरटीसी और अन्य, [1995] सप्लीमेंट 2 एस. सी. सी. 726 और सरकार के आयुक्त/सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग सिविल सेक्टर, जम्मू बनाम डॉ. अशोक कुमार कोहली, (1995) सप्लीमेंट 4 एस. सी. सी. 214, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 6510/2004

2002 की एस.ए. संख्या 225 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16.10.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से जावेद एम. राव, राजीव कुमार दुबे, सुश्री रश्मि सिंह और कमलेंद्र मिश्रा।

प्रतिवादी के लिए विनय अरोड़ा और संजय जैन।

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा

अरिजीत पासायत, जे.

अनुमति दी गई।

उत्तर प्रदेश राज्य वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय की वैधता पर सवाल उठाता है। डिवीजन बेंच ने रिट याचिका No.3334/2002 (एसएस) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.6.2002 द्वारा अंतरिम आदेश को बरकरार रखा।

अपीलार्थियों द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किए गए पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थी के पति को 14.6.1989 पर अंशकालिक ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की भर्ती, 1974 (संक्षेप में '1974 नियम') लागू थे, इस न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में पारित निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में नल्कूप चालकों के पदों पर अंशालिक नल्कूप चालकों के विनियमितीकरण नियमावली, 1996 (इसके बाद '1996 नियम' के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया गया था और इसे अधिसूचना की तारीख से लागू किया गया था। उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (I) के तहत, कट ऑफ तिथि 1.10.1986 निर्धारित की गई थी। 26.10.1998 को राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया

गया था कि 1974 के नियमों के तहत अंशकालिक कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ नहीं दिया जा सकता है।

15.11.2001 पर प्रतिवादी के पति की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे प्रतिवादी और चार बच्चों को छोड़ गए। उत्तरदाता ने 1974 के नियमों के तहत नियुक्ति के लिए कार्यकारी अभियंता, ट्यूबवेल डिवीजन-I, सीतापुर (अपीलकर्ता संख्या 4) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। उनका अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि वह 1974 के नियमों के तहत ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थीं। रिट याचिका No.3334/2002 (एस. एस.) प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान अपीलकर्ताओं को रिट याचिकाकर्ता को डायिंग-इन-हार्नेस नियमों के तहत किसी भी उपयुक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि सक्षम अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर सरकारी आदेश दिनांक 26.10.1998 की अनदेखी करते हुए रिट याचिकाकर्ता के डाइंग-इन-हार्नेस नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने के दावे पर विचार करेंगे। आदेश की वैधता को विशेष अनुमति दाखिल करके खंड पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। उसी को आक्षेपित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि वर्तमान प्रतिवादी को निर्धारित समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति दी जानी चाहिए। यह देखा गया कि मामले के तथ्यों पर मानवीय विचार पर कानूनी गुण-दोष में गए बिना, सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति की जानी चाहिए।

अपील के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश कि नियुक्ति 26.10.1998 के दिनांकित सरकारी आदेश की अनदेखी करते हुए रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान की जानी चाहिए, यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश की वैधता पर विचार नहीं किया और गुण-दोष में गए बिना कथित रूप से मानवीय आधार पर अपील का तुरंत निपटारा कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश और खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई निर्देश परिचालन सरकारी आदेश में विशिष्ट प्रावधान के विपरीत है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने मानवीय आधार पर कार्य किया है और इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसे खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया है।

कम से कम कहने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ का दृष्टिकोण न्यायिक रूप से अस्थिर और अक्षम्य है। रिट याचिका में मांगी गई अंतिम राहत एक अंतरिम उपाय के रूप में दी गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था कि सरकारी आदेश दिनांक 26.10.1998 को क्यों नजरअंदाज किया जाना था। क्या रिट याचिकाकर्ता रिट याचिका में किसी भी राहत का हकदार था, यह निर्णय रिट याचिका के अंतिम निपटारे के समय लिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि मांगी गई अंतिम राहत को अंतरिम स्तर पर नहीं दिया जाना चाहिए। स्थिति और खराब हो जाती है यदि अंतरिम निर्देश इस शर्त के साथ पारित किया गया है कि लागू सरकारी आदेश की अनदेखी की जानी चाहिए। समय-समय पर इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश देने की प्रथा की निंदा की है जो व्यावहारिक रूप से याचिका में मांगी गई मूल राहत को बिना किसी बेहतर कारण के देता है, बिना सुविधा के संतुलन, सार्वजनिक हित और कई अन्य विचारों के बारे में चिंतित हुए, एक प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में।

[सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पश्चिम बंगाल बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड, [1985] 1 एस. सी. सी. 260 पृष्ठ संख्या 265, राजस्थान राज्य बनाम मिस स्वाइका प्रॉपर्टीज, [1985] 3 एस. सी. सी. 217 पृष्ठ संख्या 224, उत्तर प्रदेश राज्य. और अन्य बनाम विशेश्वर,

[1995] पूरक 3 एस. सी. सी. 590, भारतभूषण सोनाजी क्षीरसागर (डॉ.) बनाम अब्दुल खलिक मोहम्मद मूसा और अन्य, [1995] पूरक 2 एस. सी. सी. 593, शिव शंकर और अन्य बनाम निदेशक मंडल, यूपीएसआरटीसी और अन्य, [1995] पूरक 2 एस. सी. सी. 726 और सरकार के आयुक्त/सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग सिविल सेक्टर, जम्मू बनाम डॉ. अशोक कुमार कोहली, (1995) पूरक 4 एस. सी. सी. 214 देखें। इस बात का कोई आधार नहीं बताया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने क्यों सोचा कि निर्देश के अनुसार तरीके को अपनाना आवश्यक था। यहां तक कि यह भी संकेत नहीं दिया गया था कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, हालांकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए, हम विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देते हैं, जैसा कि खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हमने मुख्य रूप से इस आधार पर हस्तक्षेप किया है कि अंतिम राहत बिना किसी उचित कारण के अंतरिम स्तर पर दी गई है। चूंकि विवाद बहुत संकीर्ण दायरे में है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस फैसले की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।

लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

आर. पी.

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।